बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी–01/2024 6153 पटना, दिनांक :– 03/09/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 1304 दिनांक 01.12.2023 द्वारा श्री सुजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00708) के विरूद्ध कार्यो में अनियमितता बरतने, विधि एवं नियमों के विपरीत कार्य करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने, निर्धारित समय सीमा में कार्य करने में विफल रहने, शिविर कार्यालय से अनुपस्थित रहने के साथ कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 518 दिनांक 29.01.2024 द्वारा श्री कुमार से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के विरूद्ध 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा दिया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि ये शिविर से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहे हैं और न ही बंदोबस्त कार्यालय स्तर से कभी पृच्छा की गयी है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा कभी भी सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, कभी–कभी अत्यधिक कार्यबोझ के कारण कार्य का निष्पादन ससमय इनके द्वारा नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ कार्य किए जाने में हुए विलंब के लिए क्षमा याचना करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1308 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से स्पष्ट मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 375 दिनांक 25.04.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य पूर्व में प्रतिवेदित अनुशंसा से विपरीत रहने के फलस्वरूप पुनः निदेशालय पत्रांक 13628 दिनांक 05.09.2024 एवं अंतिम स्मार पत्रांक 3608 दिनांक 16.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की समीक्षा कर मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 619 दिनांक 20.06.2025 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया।

बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य है कि श्री कुमार योगदान के पश्चात् लगातार बथनाहा शिविर में कार्यरत रहे हैं, इसके बावजूद 05 वर्ष की अवधि के पश्चात् भी विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रगति नहीं है। इस हेतु इनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्यो में प्रगति लाने, भविष्य में सुधार हेतु सचेत रहने तथा कार्य संस्कृति में सुधार लाने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु इसके बाद भी बार–बार निदेश दिए जाने के बावजूद इनके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी है। फलस्वरूप इनके कार्य संस्कृति में सुधार नहीं होने के कारण संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं मंतव्य तथा प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया है कि श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप/मंतव्य से विपरीत है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यो का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की जाती है, फलस्वरूप बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरांत इनके सरकारी कार्य संस्कृति में सुधार नहीं होने एवं बार–बार दिए गए निदेश के बावजूद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–8(4) के तहत श्री सुजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00708) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी–01 / 2024 6153 **पटना, दिनांक** 03/09/2025

प्रतिलिपि :– श्री सुजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00708), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

1/9

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी–01 / 2024 6153 **पटना, दिनांक** 03/09/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/9

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा(आरोप)सीतामढ़ी–01 / 2024 6153 **पटना, दिनांक** 03/09/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्राम, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/9

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप